# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या–(1–2) 35/2015 एवं 36/2015..... जिला .....जयपुर.....
(सम्बन्धित अपील संख्या–1189/2015 एवं 1190/2015/जयपुर)

उनवान : मैसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर.
(2) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, बांसवाड़ा.

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 17/09/2015 | **खण्डपीठ**<br>**श्री मनोहर पुरी, सदस्य**<br>**श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य**<br><br>अपीलार्थी द्वारा ये दो परिशोधन प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपीलार्थी की अपील संख्या क्रमशः 1189/2015 एवं 1190/2015/जयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 18.08.2015 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। माननीय खण्डपीठ द्वारा उक्त निर्णय में अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी से स्थगन राशि बाबत संतोषप्रद अमानत राशि (Adequate Security) जमा कराने की शर्त के साथ स्थगन आदेश जारी किया गया।<br><br>अपीलार्थी द्वारा ये परिशोधन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी राज्य सरकार का उपक्रम है तथा वेट अधिनियम की धारा 38(4) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम को अमानत राशि जमा कराने की शर्त से मुक्त रखा गया है। ऐसी स्थिति में माननीय खण्डपीठ द्वारा अमानत राशि जमा कराये जाने की शर्त विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से माननीय खण्डपीठ का आदेश दिनांक 18.08.2015 इस सीमा तक संशोधनीय है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा आदेश दिनांक 18.08.2015 को संशोधित किये जाने का निवेदन किया गया।<br><br>प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने माननीय खण्डपीठ के आदेश दिनांक 18.08.2015 का समर्थन करते हुए अपीलार्थी के परिशोधन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।<br><br>उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा आदेश दिनांक 18.08.2015 एवं वेट अधिनियम की धारा 38(4) के द्वितीय परन्तुक का अवलोकन किया गया, जो निम्न प्रकार है :–<br><br>लगातार.....2 | |

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या–(1–2) 35/2015 एवं 36/2015..... जिला .....जयपुर.....
(सम्बन्धित अपील संख्या–1189/2015 एवं 1190/2015/जयपुर)

उनवान : मैसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर.
(2) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, बांसवाड़ा.

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज<br>–: 2 :– | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 17/09/2015 | "Provided further that no security under this section shall be required to be furnished by a department of the Central Governemnt or the State Government or a public sector undertaking, corporation or company owned or controlled by the Central Government or the State Government."<br>उक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों में स्थगन आदेश जारी किये जाने पर स्थगित राशि बाबत अमानत राशि जमा कराये जाने से छूट प्रदान की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी, राज्य सरकार का उपक्रम है, जिसका नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2015 में स्थगन राशि बाबत अमानत राशि (Adequate Security) प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता विधिसम्मत नहीं है तथा उक्त विधिक प्रावधानों के अनुसरण में संशोधनीय है।<br>अतः माननीय खण्डपीठ के आदेश दिनांक 18.08.2015 को संशोधित किया जाता है, निर्णय के द्वितीय पृष्ठ के प्रथम पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जावे :–<br>**"अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम विवादित मांग रूपये 20,56,556/– एवं 19,49,302/– की वसूली कार्यवाही अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक स्थगित की जाती है एवं अपीलीय प्राधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करेंगे।"**<br>परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों परिशोधन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाकर माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2015 उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है।<br>निर्णय सुनाया गया।<br>17-9-2015<br>सदस्य<br>राजस्थान कर बोर्ड<br>अजमेर<br>17.09.2015<br>सदस्य<br>राजस्थान कर बोर्ड<br>अजमेर | |